

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय
(दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान

पटना, दिनांक-26/11/2009

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी
रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के उपबन्धों के अनुसार यथावत् दाखिल
/ निबंधित/ अभिलेखित किया गया / किये गये।

फीस का झाप रु० 50/- (पचास रुपये) केवल।

संस्था स्मृति-पत्र/नियमावली एवं आम सभा का प्रस्ताव की
अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,

देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान,

होटल गोपाल डीलक्स, धर्मशाला, पुरानी जी० टी०

रोड, सासाराम, जिला-सोहतास, पिन कोड-821115
(बिहार)।

की सेवा में उनके पत्र संख्या...^{शुक्र}... दिनांक 3-11-2009 के
प्रसंग में अग्रसारित।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है, प्राप्त की सूचना दें।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।



Nº 113138

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या. 2037.

वर्ष 2009-2010

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि **देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान,**
होटल गोपाल डीलक्स, धर्मशाला, पुरानी जी० टी० रोड,
सासाराम, जिला-रोहतास, पिनकोड-821115 (बिहार)।

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ हुई ।

आज तारीख 23/01/2010 मास जनवरी वर्ष 2010 को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

संस्था निबन्धन अधिनियम-21,1860 के अधीन
निबन्धन विभाग मात्र संस्था का निबन्धन करता
है। निबन्धन को संस्था के वास्तव में कार्यरत
होने या ना होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता

वि० स० न० (निबन्धन) के प्रयोग के लिए, संस्था का नाम, पता, एन० एम० वि०

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।

पत्रांक— GB-1777/82/2022 - 394 अगु

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबन्धन विभाग

प्रेषक,

डॉ० संजय कुमार,
सहायक निबन्धन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सच्चिदानन्द ओझा,
अध्यक्ष,
“देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान”
होटल गोपाल, जी०टी०रोड,
सासाराम (रोहतास)–821115

पटना, दिनांक— 31.03.24

विषय:—“देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान” (नि०सं०-2037/2009-10), सासाराम, रोहतास नामक संस्था का प्रमाण-पत्र, स्मृति-पत्र एवं नियमावली की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके आवेदन सं०-030310000002400011 दिनांक-11.03.2024 के आलोक में “देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान” (नि०सं०-2037/2009-10) नामक संस्था का प्रमाण-पत्र, स्मृति-पत्र एवं नियमावली की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए भेजी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(डॉ० संजय कुमार)
सहायक निबन्धन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय, बिहार, पटना निबंधित संस्था में
किये गये संशोधन को अभिलिखित करने का प्रमाण-पत्र
“देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान” में किये गये परिवर्तन को अभिलेखित के संबंध में।

(संस्था का अद्यतन नाम)

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था द्वारा दाखिल निम्नलिखित आलेख्य संस्था निबंधन अधिनियम, 21, 1860 के उपबंध के अनुसार अभिलिखित किया जाता है।

संस्था के नाम परिवर्तन की सूचना-(पूर्व नाम-“देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान” (नि० संख्या-2037/2009-10)/परिवर्तित नाम-XXXX/पता परिवर्तन की सूचना-पूर्व पता-होटल गोपाल डीलक्स, धर्मशाला, पुरानी जी०टी० रोड, सासाराम, जिला-रोहतास, पिन कोड-821115 (बिहार)/परिवर्तित पता XXXX/संशोधित स्मृति पत्र (नई कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं कार्यकारिणी के साथ)/संशोधित नियमावली/आम सभा दिनांक-17.02.2023 एवं 24.04.2023 के प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि।

❖ संस्था के आलेख्य में किया गया उपरोक्त संशोधन संस्था द्वारा समर्पित अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है। भविष्य में संस्था के विरुद्ध किसी तरह का परिवाद प्राप्त होता है और जाँच में सत्य पाया जाता है, तो संस्था का निबंधन रद्द किया जा सकता है।

29.02.24
वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

सेवा में;

श्री अनिल कुमार सिंह, सचिव

“देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान” (नि० संख्या-2037/2009-10), पता-होटल गोपाल डीलक्स, धर्मशाला, पुरानी जी०टी० रोड, सासाराम, जिला-रोहतास, पिन कोड-821115 (बिहार) को उनके आवेदन के प्रसंग में अग्रसारित। कृपया प्राप्ति की सूचना दें।

निबंधन किया
16/05/2024

सत्यप्रति प्रति

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक
संशोधन, उद्देश्य एवं कार्यकारिणी विभाग,
बिहार, पटना

29.02.24
वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

“ देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान ”

का
संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :- “ देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान ”
2. निबंधित कार्यालय :- इस संस्था का निबंधित कार्यालय-होटल गोपाल डीलक्स, धर्मशाला, पुरानी जी०टी०रोड, सासाराम, जिला-रोहतास, पिन कोड-821115(बिहार) में रहेगा ।
आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।
3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।
4. उद्देश्य :-

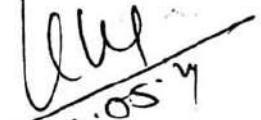
1. विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण हेतु शहरों एवं गांवों में सरकार एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से मदद लेकर विभिन्न कार्यक्रम चलाना तथा शिक्षा, पुर्नवास, भोजन, वस्त्र, दवा की व्यवस्था करना ।
2. शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रीशियन एवं टेलीविजन निर्माण एवं मरम्मत, टाईपिंग शार्टहैण्ड, ब्यूटीशियन कोर्स, इलेक्ट्रीकल्स, मोटर बाईडिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देने का प्रयास करना ।
3. शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करना । तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षण संस्थान का संचालन में मदद करना एवं अवासीय विद्यालय, पुस्तकालय, पत्र-पत्रिका, वाचनालय, पठन-पाठन कक्ष, छात्रावास, आध्यात्मिक शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र, हरिजन एवं आदिवासी विद्यालय, मुक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना । गरीब, असहाय, विकलांग अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हरसंभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना ।
4. संस्था द्वारा निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अशिक्षित महिलाओं एवं बच्चों को साक्षर बनाने हेतु सर्वशिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, नारी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन करना ।

न किया
16/05/2024

20.05.24

5. अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास का समुचित प्रयास करना तथा उन उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहें कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना ।
6. स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निम्न वर्ग के लोगों के लिए चलन्त दवाखाना, कैंसर, कुष्ठ अस्पताल का संचालन करना सभी तरह के टीकाकरण शिविर का संचालन करना, रक्तदान, नेत्रदान एवं नेत्र चिकित्सा शिविर, परिवार नियोजन शिविर, मातृ एवं शिशु कल्याण शिविर का आयोजन कर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा लाभान्वित करना ।
7. लोगों को स्वच्छता के महत्व को समझाना तथा स्वच्छ पेयजल, सुलभ शौचालय आवागमन की सुविधा, सिंचाई कुओं, नलकूप, बोरिंग की सुविधा आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा जलछाजन कार्यक्रमों का संचालित कर लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना । इस अलावा नाली ईटसोलिंग का प्रबंध करना ।
8. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रमों एवं प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करना तथा लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, लगे वृक्ष की रक्षा करने एवं अन्य जानकारी देना । जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करना तथा गैर पारम्परिक उर्जा एवं अन्य जानकारी देना । जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करना तथा पारम्परिक उर्जा के बारे में जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना ।
9. संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना जागृत करने उद्देश्य से स्टेज शो, नुक्कड़ नाटक, संगीत, नाटक, वाद्य का प्रशिक्षण आदि का संचालन करेगी ।
10. बाढ़, अकाल, भूकंप तथा अन्य दुर्घटनाओं एवं प्राकृतिक आपदाओं के समुचित राहत कार्य का संचालन करना तथा पीड़ितों के बीच शिविर लगाकर भोजन, स्वच्छ पेयजल, वस्त्र, दवा, चिकित्सा, शिक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना ।
11. लोगों को उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, दलित मानवाधिकार, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं संचालन के बारे में जानकारी देना तथा देश के महिला उत्पीड़न, मादा भ्रूण हत्या समाप्त कराने के लिए लोगों को जागरूक करना ।
12. लोगों को आर्थिक विकास हेतु शौचालय, पशुपालन के बारे में जानकारी देना तथा वन्य प्राणियों एवं पशु-पक्षी की रक्षा करना ।

मलाम किया
अ. ५
16/5/2024


20.05.24

13. वृद्ध पुरुष-महिलाओं, विकलांगों, निःसंतान, निराश्रितों के लिए आश्रय स्थल, अनाथालय, भोजन, चिकित्सा एवं मनोरंजन केन्द्र का संचालन करना ।
14. कृषि में सहयोग हेतु कृषि/मंत्रालय/विशेषज्ञों से आर्थिक एवं वैज्ञानिक सहयोग प्राप्त कर कृषकों को मशरूम की खेती, जैविक खाद, कीट नाशक दवा, उन्नत बीज, आधुनिक औजार, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन, फाउण्डेशन बीज, सागा-सब्जी, औषधीय पौधा, सुगंधित पौधा, तिलहन-दलहन एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन हेतु प्रशिक्षण के साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाना ।
15. संस्था सूचना तकनीक कम्युनिकेशन के अंतर्गत बेबसाइट, इंटरनेट के संबंध में लोगों को जानकारी एवं प्रशिक्षण दिलाने का कार्य करेगी ।
16. संस्था बागवानी, नर्सरी उद्योग फलदान वृक्षों एवं अन्य पेड़-पौधा कलम तैयार करने का प्रशिक्षण, कृषकों द्वारा उत्पादित फलों एवं फूलों के भंडारण हेतु शीतगृह की व्यवस्था तथा खपत हेतु बाजार, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने का प्रयास करेगी ।
17. महिलाओं के चौमुखी विकास, उनके लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन एवं संचालन करना, महिला जागरूकता का विकास कर महिलाओं को अपनी संस्था के माध्यम से राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही स्वयं सहायता समूह के गठन एवं संचालन की जानकारी देना, प्रशिक्षित कर उन्हें स्थानीय बैंक से जोड़ने का कार्य करना तथा उसे कम से कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने तथा स्वरोजगार दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना ।
18. महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी बच्चों के विकास के लिए बालबाड़ी, पालनाघर एवं नारी शिक्षा केन्द्र का संचालन करना, महिलाओं को जानकारी देना तथा कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु जागरूकता का विकास करना ।
19. ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए बच्चों, युवाओं युवतियों तथा गरीब लोगों के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, पठन-पाठन कक्ष, अनाथालय, विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान का संचालन करना तथा जन-जन को साक्षर बनाने का प्रयास करना । गरीब एवं मेधावी छात्र-छात्राओं को पुस्तक एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करना ।

निर्वाह किया
20/05/2024

[Signature]
20.05.24

20. देश की अखण्डता की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान का संचालन करना तथा समाज में व्याप्त अशिक्षा, अज्ञानता, जातिवाद, धर्मान्धता, आतंकवाद, शोषण, नशाखोरी, औषधि दुरुपयोग, हत्या, बलात्कार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, सामाजिक अपराध, दहेज प्रथा, बाल श्रमिक, महिला श्रमिक तथा सामाजिक कुरीतियों के निराकरण हेतु जन चेतना का विकास करना तथा सभा, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला आदि का आयोजन कर जागरूकता का विकास करना तथा इनको समाप्त करने का प्रयास करना ।
21. समाज के गरीब, असहाय, विकलांग, दलित, अल्पसंख्यक, अनाथ बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के सामाजिक आर्थिक, नैतिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करना तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं से उन्हें लाभान्वित कराने का प्रयास करना ।
22. असाध्य रोग यथा एड्स, कैंसर, कालाजार, कुष्ठ, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक चिकित्सा, दवा, स्वास्थ्य सेवा तथा पुर्नवास की व्यवस्था करना तथा सभा, गोष्ठी, पदयात्रा आदि के माध्यम से रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए कार्य करना । साथ ही मूक बधिर, नेत्रहीन, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों, व्यस्कों, महिलाओं के लिए चिकित्सा, पुर्नवास एवं कृत्रिम अंग की व्यवस्था कराने का हर संभव प्रयास करना ।
23. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, असहाय, विकलांग महिलाओं एवं पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कटिंग, बुनाई, एप्लीक निर्माण, गुड़िया निर्माण, लघु उद्योग, मधुमक्खी पालन, भेड़पालन, बकरीपालन, सुअरपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्यपालन, चर्म उद्योग, साबुन उद्योग, सर्फ उद्योग, पशुपालन आदि का प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण का संचालन करना ।
24. कला एवं सांस्कृतिक विकास के लिए नृत्य, संगीत, वाद्ययंत्र आदि के माध्यम से कला का प्रचार-प्रसार करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना । महिला कलाकार, बाल कलाकार एवं युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना ।

नाम किया
जो 14
16/05/2004

20.05.04

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पति का नाम, पता, जीवकोपार्जन के साधन, पद एवं स्वहस्ताक्षरित फोटो नीचे दिया गया है। वर्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है।

क्र 0	नाम, पिता/ पति का नाम	पता	जीवकोपा र्जन का साधन	पद	स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो
1	2	3	4	5	6
1	श्री सच्चिदानंद ओझा पिता-स्व० जगन्नाथ ओझा	मोहल्ला-खिलनगंज सासाराम थाना+पो०+अंचल-सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार	समाज सेवा	अध्यक्ष	
2	श्री अनिल कुमार सिंह पिता-श्री सिया राम सिंह	मोहल्ला-खिलनगंज सासाराम थाना+पो०+अंचल-सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार	व्यवसाय / सह समाज सेवा	सचिव	
3	दीपक कुमार पिता-बुधन प्रसाद	87, गली नं०-4, खिलनगंज, सासाराम, रोहतास बिहार-821115	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	
4	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पिता-श्री मुंशी प्रसाद गुप्ता	मोहल्ला-खिलनगंज, डाकघर-सासाराम, जिला-रोहतास।	समाज सेवा	सदस्य	

मिल : किया

20/05/2024

20.05.24

1	2	3	4	5	6
5	शोभा देवी पति- दिपक राज	85, गली नं०-4, खिलनगंज, सासाराम, रोहतास बिहार-821115	समाज सेवा	सदस्य	 Shob
6	अभय सिंह पिता-अनिरुद्ध सिंह	ग्राम+पो०-अवरैयॉ, अजगर, कैमूर, भभूआ	समाज सेवा	सदस्य	 30
7	श्री विनोद कुमार पिता-जगदीश प्रसाद गुप्ता	मु०-शेरगंज, थाना+पो०-सासाराम जिला-रोहतास, बिहार.	समाज सेवा	सदस्य	 Vine

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित स्मृति पत्र की सच्ची प्रति है ।

Jach'du hande
अध्यक्ष

[Signature]
कोषाध्यक्ष

[Signature]
सचिव

ग्राम समाज का प्रस्ताव दिनांक 17.02.2023 एवं
24.04.2023 के द्वारा संशोधित स्मृति पत्र की
सच्ची प्रति ।

मि. किया
25/05/2024

[Signature]
20.05.24

वास्तु निम्न
29.08.24

“ देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान ”

की
संशोधित नियमावली

1. परिभाषा

- क— संस्था से अभिप्राय है :- “ देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान ”
ख— समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
ग— पदाधिकारी से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
घ— वर्ष से अभिप्राय है :- 01 मई अप्रैल से 31 मार्च तक ।
ङ— एक्ट से अभिप्राय है :- सोसाईटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21,1860 ।

2. सदस्यता

कोई भी महिला एवं पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे, और जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करेंगे, संस्था का सदस्य बन सकते हैं । सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/-रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा ।

3. सदस्यता से विमुक्ति :-

- क— स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
ख— पागल या मृत्यु होने पर ।
ग— न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
घ— सदस्यता शुल्क लगातार तीन वर्ष तक नहीं देने पर ।
ङ— लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।
च— समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

4. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

- क— कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित कम से कम 07 सदस्य होंगे ।
ख— कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा ।
ग— समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों की होगा । सेवा निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं ।
घ— अगर समिति का कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव करा लेना होगा । चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे ।

किया

10/05/2024

20.05.24

5. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-

- क- संस्था के चल एवं अचल सम्पत्ति के उत्तरदायी होगा ।
- ख- संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।
- ग- शाखा एवं उपशाखा का गठन करना ।
- घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

6. आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- क- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।
- ख- संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।

7. बैठक :-

- क- कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में होगी ।
- ख- आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।
- ग- कार्यकारिणी समिति की अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।
- घ- आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

8. बैठक की सूचना :-

- क- कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी
- ख- आम सभा के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।
- ग- कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी ।
- घ- आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 04 दिन पूर्व दी जाएगी ।
- ङ- बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी ।

09. प्रार्थित बैठक

दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि के अंदर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

10. कोरम (गणपूर्ति)

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का $3/5$ बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

मिल
20.05.2024

20.05.24

11. पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-

अध्यक्ष

- क- संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
- ख- कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।
- ग- किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।
- घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव

- क- संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।
- ख- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।
- ग- आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।
- घ- संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।
- ङ- कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।
- च- कार्यकारणी समिति की राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना ।
- छ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

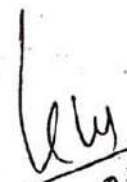
कोषाध्यक्ष

- क- संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और अध्यक्ष के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।
- ख- संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना ।
- ग- संस्था के कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।
- घ- आवश्यकतानुसार अपने पास 1000/-रु० तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना ।

12. आय का श्रोत :-

- क- सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।
- ख- सरकारी, गैर सरकारी, दान, अनुदान, सहायता ।
- ग- प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बिक्री से ।

मिल के साथ
20.05.2024


20.05.24

13. निधि का अंकेक्षण :-

- क- संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षित कराया जाएगा ।
ख- निबंधन महानिरीक्षक, बिहार अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं । इस अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

14. कोष का संचालन :-

संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी-निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

15. पंजी का निरीक्षण :-

संस्था का सभी पंजियों निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य पंजी लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

16. नियमावली में संशोधन :-

नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

17. कानूनी कार्रवाई -

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति के सलाह से की जायेगी ।

18. विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-

- क- संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा- 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।
ख- आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।
ग- विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य वाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित नियमावली की सच्ची प्रति है ।

Sachin Kumar

अध्यक्ष

[Signature]
कोषाध्यक्ष

[Signature]
सचिव

[Signature]
20.05.23

आम सभा का प्रस्ताव
24.04.2023 के द्वारा
संशोधित प्रति लिपि

दिनांक 17.02.2023
संशोधित नियमावली
वास्तविक नि.सं. 24.04.23



बिहार BIHAR

28 FEB 2024

RHOJPUR, ARRAH

18220 अरर + 3-24 देवी डी उमलम श्रीधर
दरल दियात जी. No. AL 128353
am

नरज कुमार केशरी
मुद्रांक विक्रेता-L. No. I/2001-2
कलकट्टी आरा (भोजपुर)

सत्यापित प्रति

वास्ते, निबंधन महाविद्यालय
मध निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग,
बिहार, पटना



18219 21-7-3-24 ਦੇਰੀ ਭਾਤਲਨ
ਪਰਿਵਾਰ ਫੋਲ ਫਿਲਮ ਨੰ. 40 2,
ਫਾਇਲ ਨੰ. 18219

नीरज कुमार केश
मुद्रांक बिक्रेता-L. No.-1/20
कलेक्टरी, आरा (बोझ)

सत्यापित प्रति

मास्ते, निबंध महाविश्व
मध निषेध, उत्पत्ति एवं निषेध विभाग
विश्व, पटना

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

Sep 11, 2021



Ref.No.:332064700015961171/TAN/NEW

TO,
DEVI SHAKUNTALAM PRATISHTHAN
HOTEL GOPAL DELUX
DHARMSHALA OLD-GT ROAD
SASARAM
ROHTAS-821115
BIHAR
TEL. NO.:91-9431054102

Sir/Madam,
Sub : Allotment of Tax Deduction Account Number (TAN)
as per the Income Tax Act, 1961.

Kindly refer to your application (Form 49B) dated Sep 06, 2021 for the allotment of Tax Deduction Account Number.
In this connection, the following TAN has been issued to you/your organisation:

PTND05045F

Please quote the same in all TDS challans, TDS Certificates, TDS returns, Tax Collection at Source (TCS) returns as well as other documents pertaining to such transactions.

Quoting of TAN on all TDS returns and challans for payment of TDS is necessary to ensure credit of TDS paid by you and faster processing of TDS returns.

The above TAN should also be used as Tax Collections at Source Account Number under section 206CA.

Kindly note that it is mandatory to quote TAN while furnishing TDS returns, including e-TDS returns. e-TDS returns will not be accepted if TAN is not quoted.

This supersedes all the Tax Deduction / Collection Account Number, allotted to you earlier.

Income Tax Department

This is a computer-generated letter. Hence, signature is not required.

Caution : Income Tax Department does not send e-mails regarding refunds and does not seek any taxpayer information like user name, password, details of ATM, bank accounts, credit cards, etc. Taxpayers are advised not to part with such information on the basis of emails.

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

DEVI SHAKUNTALAM PRATISHTHAN



19/11/2009

Permanent Account Number

AAAAD8445M

04102310

Handwritten signature